भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
07.08.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 2760 का उत्तर

एबीएसएस के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास

2760. श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:
श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश, विशेषकर विजियानगरम और नेल्लोर निर्वाचन क्षेत्र में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास के लिए चयनित रेलवे स्टेशनों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत विशेषकर विजियानगरम और नेल्लोर जिले में इन स्टेशनों के विकास के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित और संवितरित की गई है;

(ग) विजियानगरम और नेल्लोर जिलों में इस योजना के अंतर्गत पुनर्विकास हेतु किन विशिष्ट परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा इनमें अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) विजियानगरम और नेल्लोर में इन पुनर्विकास परियोजनाओं के निष्पादन में क्या चुनौतियां अथवा विलंब पेश आ रहे हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या भविष्य में उक्त योजना के अंतर्गत विजियानगरम और नेल्लोर निर्वाचन क्षेत्र से अतिरिक्त स्टेशनों को शामिल करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

एबीएसएस के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के संबंध में दिनांक 07.08.2024 को लोक सभा में श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी और श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी के अतारांकित प्रश्न सं. 2760 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ) रेल मंत्रालय ने भारतीय रेल के रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए 'अमृत भारत स्टेशन योजना' शुरू की है। इस योजना में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ सतत आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है।

इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन की आवश्यकता को देखते हुए स्टेशनों पर स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय, आवश्यकता के अनसुार लिफ्ट/एस्केलेटर, प्लैटफॉर्म की सतह में सुधार और प्लैटफॉर्म के ऊपर कवर, स्वच्छता, नि:शुल्क वाई-फाई, 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क, बेहतर यात्री सूचना प्रणाली, एक्जीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए नामोदिष्ट स्थान, लैंडस्केपिंग आदि जैसी सुविधाओं में सुधार लाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन करना शामिल है।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्ध रूप से एवं व्यवहार्यता के अनुसार स्टेशन भवन में सुधार, स्टेशन का शहर के दोनों भागों के साथ एकीकरण, मल्टी-मोडाल एकीकरण, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान, गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि शामिल हैं और दीर्घावधि में स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के सृजन की भी परिकल्पना की गई है।

अब तक, क्षेत्रीय रेलों, प्रमुख शहरों और कस्बों में स्थित स्टेशनों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर इस योजना के तहत 1324 रेलवे स्टेशनों को चयनित किया गया है। 1324 स्टेशनों में से, आंध्र प्रदेश राज्य के 73 स्टेशनों को इस योजना के अंतर्गत विकास के लिए चिह्नित किया गया है, जिनमें विजयनगरम संसदीय क्षेत्र में बोब्बिलि जंक्शन, चिपुरुपल्लि, कोत्तवलसा और विजयनगरम जंक्शन स्टेशन तथा नेल्लूर संसदीय क्षेत्र में नेल्लूर स्टेशन शामिल हैं। बोब्बिलि जंक्शन, तिरूपुरूपल्लि, कोत्तवलसा, विजयनगरम जं, नेल्लूर स्टेशनों पर कार्य के लिए निविदाएं प्रदान कर दी गई हैं तथा कार्य शुरू हो गया है।

आंध्र प्रदेश राज्य में इस योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने हेतु चिह्नित स्टेशनों के नाम निम्नानुसार हैं:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
आंध्र प्रदेश	73	अदोनी, अनकापल्ले, अनंतपुर, अनापार्थी, अराकू, बापटला, भीमावरम टाउन, बोब्बिली जंक्शन, चिपुरुपल्ली, चिराला, चित्तूर, कड़पा, कुंबुम, धर्मावरम, धोने, डोनाकोंडा, दुव्वाडा, इलामंचिली, एलुरु, गिद्दलूर, गूटी, गुडिवाड़ा, गुडुर, गुनाडाला, गुंटूर, हिंदूपुर, इच्छापुरम, कादिरी, काकीनाडा टाउन, कोट्टावलासा, कुप्पम, कुरनूल सिटी, मछेरिया, मछलीपट्टनम, मदनपल्ली रोड, मंगलागिरी, मर्कापुरम रोड, मत्रालयम रोड, नादिकुडे जंक्शन, नंद्याल, नरसारावपेट, नरसापुर, नौपाड़ा जंक्शन, नेल्लोर, निदादावोलु, ओंगोल, पाकला, पलासा, पार्वतीपुरम, पिदुगुरल्ला, पिलर, राजमपेट, राजमुंदरी, रायनपडु, रेनिगुंटा, रेपल्ले, समालकोट, सत्तनपल्ले, सत्यसाइ प्रशांति निलयम, सिम्हाचलम, सिंगारायकोंडा, श्रीकालहस्ती, श्रीकाकुलम रोड, सुल्लुरपेटा, ताडेपल्लीगुडेम, ताडिपत्रि, तेनाली, तिरुपति, तुनी, विजयवाड़ा, विनुकोंडा, विशाखापत्तनम, विजयनगरम जंक्शन

अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले स्टेशनों सहित अन्य रेलवे स्टेशनों के विकास और अनुरक्षण के लिए आबंटन का ब्यौरा योजना शीर्ष-53 'ग्राहक सुविधाओं' के अंतर्गत क्षेत्रीय रेल-वार रखा जाता है, न कि स्टेशन-वार या राज्य-वार। योजना शीर्ष-53 के तहत चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2024-25 के लिए क्षेत्रीय रेलों को आबंटित कुल राशि 15,510.75 करोड़ रुपये है। आंध्र प्रदेश राज्य को 04 जोन नामत: पूर्व तट रेलवे, दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे सेवाएं प्रदान करते हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान उक्त 04 क्षेत्रों के लिए कुल 3804.50 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन जटिल प्रकृति का होता है जिससे यात्रियों और रेलगाड़ियों की संरक्षा शामिल होती है और इसके लिए दमकल विभाग, धरोहर, पेड़ों की कटाई, विमानपत्तन स्वीकृति इत्यादि जैसी विभिन्न सांविधिक स्वीकृतियों की आवश्यकता होती है। इनकी प्रगति जनोपयोगी सेवाओं को स्थानांतरित करना, (जिनमें जल/सीवेज लाइन, ऑप्टिकल फाइबर केबल, गैस पाइप लाइन, पावर/सिगनल केबल इत्यादि शामिल हैं) अतिलंघन, यात्री संचलन को बाधित किए बिना रेलगाड़ियों का परिचालन, उच्च वोल्टेज बिजली लाइनों के निकट सान्निध्य में किए जाने वाले कार्यों के कारण गति प्रतिबंध आदि जैसी ब्राउन फील्ड संबंधी चुनौतियों के कारण भी प्रभावित होती है और ये कारक कार्य के पूरा होने के समय को प्रभावित करते हैं। अत:, इस समय कोई समय-सीमा नहीं बताई जा सकती है।

इसके अलावा, भारतीय रेल पर स्टेशनों का उन्नयन/विकास/पुनर्विकास करना सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और इस संबंध में कार्य, पारस्परिक प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अध्यधीन आवश्यकतानुसार किए जाते हैं। बहरहाल, रेलवे स्टेशनों के उन्नयन/विकास/पुनर्विकास के लिए कार्य को स्वीकृत और निष्पादित करते समय निम्न कोटि वाले रेलवे स्टेशनों की तुलना में उच्च कोटि वाले रेलवे स्टेशन को प्राथमिकता दी जाती है।

*****